राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान

बरियातु, राँची—834009
Email: rimsranchi@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या 2292/2022

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्थवर्गीय सवंर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान

बरियातु, राँची–834009

Email: rimsranchi@rediffmail.com

विज्ञापन संख्या 2292 दिनांक 20/05/2022

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्थवर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2022 (नियमित भर्त्ती)

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के अन्तर्गत चतुर्थवर्गीय संवर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या 1301 / 2020 में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड के नागरिकों से विहित प्रपत्र में **"राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्थवर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन–2022"** (नियमित भर्त्ती) के लिये निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन दिनांक–20.05.2022 से दिनांक–19.06.2022 के अपराह्न 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन संबंधी जानकारी रिम्स के वेबसाईट – www.rimsranchi.ac.in पर उपलब्ध है।

Prasad 20/05/2022

निदेशक, रिम्स।

20/5/22

1. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची द्वारा संसूचित चतुर्थवर्गीय रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या 1301/2020 में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड के नागरिकों से विहित प्रपत्र में **"राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्थवर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2022"** के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा निर्धारित आयु सीमा की जानकारी आवेदन हेतु रिम्स के वेबसाईट **"www.rimsranchi.ac.in"** पर विस्तृत रूप से उपलब्ध है।

2. **परीक्षा शुल्कः**— परीक्षा शुल्क रू॰ 600/—(छः सौ रूपये) है।
परीक्षा शुल्क में छूटः— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू॰ 150/— (एक सौ पचास रूपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
भुगतान प्रक्रिया — परीक्षा शुल्क का भुगतान निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के बैक खाता संख्या 50200047672661, एच0डी0एफ0सी0 बैक, बरियातु, राँची IFS Code- HDFC0002728 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करना होगा।

3. रिक्तियों की विवरणी

		आरक्षण कोटि						कुल
क्रम सं0	पदनाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची —I)	पिछड़ावर्ग (अनुसूची — II)	
1	हेड जमादार	01	00	00	00	00	00	01
2	पीउन—कम—पैकर	01	00	00	00	00	00	01
3	सफाईकर्मी (पूर्व नाम क्लिनर)	01	00	00	00	00	00	01
4	इम्बाल्वर	01	00	00	00	00	00	01
5	मॉरचुरी सेवक (पूर्व नाम डोम)	01	00	00	00	00	00	01
6	स्ट्रेचर वाहक	01	00	00	00	00	00	01
7	चौकीदार	01	00	00	01	00	00	02
8	रात्रि प्रहरी	02	00	00	00	01	00	03
9	प्रयोगशाला अनुचर	15	03	07	01	02	02	30
10	किचन सेवक (पूर्व नाम वेयरर)	01	00	01	00	00	00	02
11	सेवक	03	00	02	00	01	00	06
12	कक्ष सेवक/सेविका	75	19	24	08	06	12	144
13	सेवक सह स्वीपर	01	00	01	00	00	00	02
14	दफतरी	01	00	00	00	00	00	01

15	पीउन	07	01	01	00	00	00	09
16	दरवान	07	01	02	01	00	01	12
17	माली	03	01	00	01	02	01	08
18	लैब–बॉय	01	00	00	00	00	00	01
19	प्रयोगशाला सेवक	02	00	01	00	01	00	04
	कुल	125	25	39	12	13	16	230

रिक्त पदों की कुल संख्या के आधार पर क्षैतिज आरक्षण निम्नरूपेण होगा –

निःशक्त जन – 04%

महिला – 05%

खेलकूद कोटा – 02%

आदिम जनजाति – अनुसूचित जनजाति का 02%

कोटिवार रिक्तियों की संख्या संशोधित की जा सकती है।

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें की वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोजित परीक्षा के बाद रिम्स द्वारा सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से सम्बन्धित मुल प्रमाण पत्रों की जाँच सुनिश्चित करेगा।
5. कंडिका– 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यनूतम शैक्षिणिक योग्यता निम्नवत् है:–

क्रम सं0	पदनाम एवं वर्गीकरण	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1.	रिम्स, राँची के अंतर्गत चतुर्थवर्गीय संवर्ग	पे मैट्रिक्स, लेवल–01, वेतनमान 5200 –20200, ग्रेड पे 1800	मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:–

(i) ***अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरूद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तम्भ 04 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा।*** अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(ii) **उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।**

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।

(iii) कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या–1709, दिनांक– 12.09.2007 द्वारा श्रेणी–'घ' के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

क्र० स०	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप।	द्वितीय एवं तृतीय स्थान

नोटः– उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 रिम्स के वेबसाईट <u>www.rimsranchi.ac.in</u> पर उपलब्ध है।

6. **अनुभव –**

अभ्यर्थियों को 500 या उससे अधिक बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल/संस्थान में संबंधित कार्य का दो वर्षों का अनुभव आवश्यक होगा।

नोट :

i. अनुभव प्रमाण पत्र उसी पद के लिए होना चाहिए जिसके लिए आवेदक आवेदित किया हो।

ii. अनुभव प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब संबंधित अस्पताल के Letter Head में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत किया गया हो, जिसपर पत्रांक एवं निर्गत की तिथि अंकित हो।

7. **आयु सीमाः**–उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :–

क्र0सं0	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि
1	2	3	4
	रिम्स, राँची के अंतर्गत चतुर्थवर्गीय संवर्ग	01.08.2021	01.08.2021

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 18 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमाः– (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–609, दिनांक–25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

(i)	अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग	– 35 वर्ष।
(ii)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु॰–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनु–2) (पुरूष)	– 37 वर्ष।
(iii)	महिला अनारक्षित, आ॰ क॰ व॰, अ॰ पि॰ व॰ (अनु॰–1) एवं पि॰ व॰ (अनु॰–2),	– 38 वर्ष।
(iv)	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	– 40 वर्ष।

(ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट– IX) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्ततों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) रिम्स द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण–पत्र यथा समय रिम्स द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त ''ग'' या ''ङ'' में कोई एक ही मान्य होगा।

8. पात्रताः–

I. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3848, दिनांक–10.08.2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।

II. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि रिम्स

परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों की जाँच सुनिश्चित करेगा। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

III. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिकाओं में विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद् संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है।

9. **आरक्षण** : आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

10. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र –

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–VII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–VIII पर धारित है।

(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक–02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ङ) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11.(II) जाति प्रमाण पत्र–

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–I पर धारित है। अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–III** पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–II** पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–V** पर धारित है। अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–IV** पर धारित है।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ''आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र **(परिशिष्ट–VI)** में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए।

(घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(च) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1 (अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग–2 (अनुसूची–2) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।

(ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–235, दिनांक–10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यतं पिछड़ा वर्ग–1 (अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग–2 (अनुसूची–2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (उपर्युक्त कंडिका–9(II) में उल्लेखित) से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सपेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क रिम्स के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोटः–

(I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के **परिशिष्ट–I से परिशिष्ट– VIII**, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते है, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में कंडिका–9(II) (ख) में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित आवदेक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्त्तनी (Spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्त्तनी (Spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगे।

(IV) आवेदक उपर्युक्त विहित प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें उक्त प्रमाण पत्रों की मांग रिम्स आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

(V) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

12. आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशः

(i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्त्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।

(क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है।

(ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो भी अपने साथ रखें।

(ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।

(ii) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक / 10वीं के सर्टिफिकेट / अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक / 10वीं के सर्टिफिकेट / अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री / मिस्टर / श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा– तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट / अंक पत्र में अंकित है।

आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना :

1. आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें।
2. आवेदन पत्र में हाल में खीचें हुए पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाना आवश्यक होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ आवदेन शुल्क की प्राप्ति रसीद की मूलप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ एक अतिरिक्त लिफाफे जिसपर अपना पता अंकित हो, डाक टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

5. आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व सुनिश्चित हो लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई जानकारियाँ सत्य हैं अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
6. आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मलू प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। आवेदन भरने के पूर्व निर्गत प्रमाण पत्रों से भिन्न प्रमाण पत्र देने पर इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मी उचित माध्यम के तहत आवेदन समर्पित करेंगे। संबंधित संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

13. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथियाँ :–

विज्ञापन सूचना का प्रकाशन की तिथि :– 20.05.2022

आवेदन आमंत्रित करने की तिथि :– 20.05.2022 अपराह्न 05:00 बजे।

आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि :– 19.06.2022 अपराह्न 05:00 बजे तक।

14. पदों का विकल्प :– अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के अनुसार एक अधिक पदों पर आवेदन कर सकती है। बशर्त्ते प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन, आवेदन शुल्क, अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य समर्पित करना अनिवार्य होगा।

15. **परीक्षा का स्वरूप :–** रिम्स द्वारा ओ॰एम॰आर॰ आधारित परीक्षा ली जायेगी।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :– परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 01 (एक) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 (एक) अंक दिये जायेंगे ।

16. मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा के लिए एक पत्र होगा। यह परीक्षा एक पाली में 02 घंटे की होगी। कुल प्रश्न –100, परीक्षा अवधि 02 घंटा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रमः–

झारखण्ड से संबंधित सामान्य ज्ञान	– 20 प्रश्न

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न विषय के प्रश्न सम्मिलित होंगे–

सामाजिक विज्ञान	– 20 प्रश्न
विज्ञान	– 20 प्रश्न
गणित	– 20 प्रश्न
हिन्दी	– 10 प्रश्न
अंग्रेजी	– 10 प्रश्न

1. **मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :**

(i) रिम्स द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत सफल अभ्यर्थियों के कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

- (I) अनारक्षित – 40 (चालीस) प्रतिशत
- (II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला – 32 (बत्तीस) प्रतिशत
- (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची–1) – 34 (चौंतीस) प्रतिशत
- (IV) पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 – 36.5 (साढ़े छतीस) प्रतिशत
- (V) आदिम जनजाति – 30(तीस) प्रतिशत
- (VI) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) –40 प्रतिशत

2. **अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन**

विवरणिका की कंडिका–13 के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् रिम्स के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता/ अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी। प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को रिम्स द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

17. **नियुक्तिः–**

सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त

पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधीन होगी।

18. **अन्यान्यः–**

1. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. रिम्स द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी / उनके माता–पिता / अभिभावक द्वाराः–
   (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने / गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने / जालसाजी,
   (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने / नकल करने / फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने / कदाचार करने में लिप्त पाये जाने
   (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों / फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–
   (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
   (ख) अभ्यर्थी को रिम्स द्वारा आयोजित नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
   (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी / उनके माता–पिता / अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

3. रिम्स द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र / उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

   I. अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा के अंतर्गत नहीं होना।
   II. शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
   III. निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
   IV. प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
   V. रिम्स की परीक्षा में नकल करना।
   VI. रिम्स की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
   VII. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर रिम्स को निर्णय लने का अधिकार सुरक्षित होगा।

VIII. रिम्स की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

IX. अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त रिम्स विधिसम्मत निर्णय लेगा।

X. उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

XI. परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रूपये) शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन रिम्स द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

XII. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार रिम्स के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

XIII. परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

XIV. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भेजने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाय।

XV. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर रिम्स का निर्णय अंतिम होगा।

XVI. परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलैक्टोनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाऐगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

XVII. प्रवेश पत्र (Admit Card) आवेदकों को निबंधित डाक के द्वारा भेजी जायेगी। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो / हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन भरने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

XVIII. परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से रिम्स के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

XIX. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यतः ज़मा करना होगा।

XX. रिम्स को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

XXI. प्रवेश पत्र (Admit Card) की मलू प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण—पत्रों के जाँच के क्रम में रिम्स द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

XXII. किसी भी तरह का प्रभाव / पैरवी करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा WP(PIL) No. 1301/2020 स्वतः संज्ञान एवं WP(S) No. 1032/2021, WP(S) No. 939/2021, WP(S) No. 3267/2021, WP(S) No. 256/2021 में पारित अंतिम आदेश इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएँ / नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी।
5. आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
6. किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन रदद् करने की शक्ति अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगी।
7. विज्ञापन से संबंधित कोई भी मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में ही दायर किया जा सकेगा।

20/5/22

निदेशक, रिम्स।

20/05/2022 20/5/22

परिशिष्ट–(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि.–19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–..................................   तिथिः–............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ....
डाकघर........................... थाना .... जिला .... राज्य..............................
अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत.................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा...................................., शहर.............................., जिला............................, राज्य.................... में निवास करते हैं।

स्थान :–   सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
                  नाम ....

दिनांक :–   पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट–(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-- 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12. 2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01. 2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06. 01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

पदनाम ....कार्यालय

के सील सहित

परिशिष्ट–(III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता श्री............................... ..../पति श्री .... (विवाहित महिला के मामले में) पता–ग्राम/वार्ड/शहर.. पो0....................................थाना.................................. जिला/प्रमंडल.................................राज्य/संघशासित प्रदेश ...., झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन ....जाति के सदस्य हैं तथा .... धर्म को मानने वाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमण्डल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झाखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्त्तन होने तक वैद्य होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा– 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व–घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:–

i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्त्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमण्डल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेन 1950 (अनुसूचित जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान : ....

दिनांक :.................................. हस्ताक्षर ....

परिशिष्ट–(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता श्री.................... ..../पति श्री .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर.............................. जिला/प्रमंडल..................................राज्य/संघशासित प्रदेश .... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदो के लिए आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर .... जिला/प्रमण्डल .... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था॰ (एस॰ई॰टी॰) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्था॰ (एस॰ई॰टी॰) दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान : ....

दिनांक :..................................

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट–(V)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व–घोषणा पत्र

(यह आवेदक / आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं .... पिता ....
पति / पत्नी .... निवासी, ग्राम / कस्बा / शहर ....
.... पोस्ट .... थाना ....
अंचल .... जिला .... राज्य ....
एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मैं ....
समुदाय का / की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112 / 22 / 93 स्था० (एस०सी०टी०) / झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या .... दिनांक .... में निहित आदेश के अनुसार नियोजन / नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार / झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला .... अंचल .... के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक .... निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रूपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता / आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनूसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व–घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक / आवेदिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–(VI)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. ....

Date ....

Valid for the Year ....

This is certify that Shri/Smt./ Kumari .... son/daughter/wife of .... permanent resident of .... village/street .... post office .... District .... in the State/Union Territory Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year .... His/Her family does not own or possess any of the following assets***.

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari .... belongs to the .... caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

Signature with seal of office ....

Name ....

Designation ....

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट–(VII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता. नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.. पता–ग्राम/वार्ड/शहर... पो0. ....थाना.................................... जिला....................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

<u>परिशिष्ट–(VIII)</u>

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता. नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक–19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.......... .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर.. पो0................................... ...थाना..................................... जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान : ....

दिनांक :.....................................

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट--(IX)

अनुबन्ध–1

संस्थान / अस्पताल का नाम और पता

तारीख..

प्रमाण पत्र संख्या....................................

निशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..

..सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री...आयु..लिंग...............................

....निम्नलिखित श्रेणी की

..पहचान चिन्ह...

स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त–

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनो टांगे (बी॰एल॰) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी॰ए॰) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच (ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी॰एल॰ए॰) – दोनों टांगे और बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ॰एल॰) – एक टांग प्रभावित (दायां बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ॰ए॰) एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी॰एच॰)– पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन॰डब्ल्यू॰) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी॰– अंधापन

(ii) पी॰ बी॰– आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी॰– बधिर

(ii) पी॰ डी॰– आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है / गैर प्रगामी है / इसमें सुधार होने की संभावना है / इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती।..............................वर्षो.......................................महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.......................................है।

4. श्री / श्रीमती / कुमारी...अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पुरा करते / करती है:–

(i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(ii) पी. पी.– धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(iv) के. सी.– घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(v) बी –झुक कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(vii) एस. टी.– खड़े होकर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(viii) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(ix) एस.ई.– देख कर कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(x) एच – सुनने / बोलने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं
(xi) आर. डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं।	हाँ / नहीं

(डॉ0.......................................)	(डॉ0..)	(डॉ0..)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड ।	चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी /
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षारित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

आवेदन पत्र

विज्ञापन संख्या ....

पोस्ट का नाम ...., राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची–834009

1. आवेदक का नाम : – ....
2. पिता/पति का नाम : –...
3. जन्मतिथि : – ....../......./.................. 4. लिंग : – ....
5. धर्मः –.. 6. जाति : – ....
7. पता :–

   वर्त्तमान पता : – ....

   ....

   स्थायी पता : – ....

   ....

   मोबाईल संख्याः –................................ ई0मेल :– ....

8. शैक्षणिक योग्यता : –

क्रम सं0	परीक्षा उर्त्तीण	कॉलेज/संस्थान का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उर्त्तीण का वर्ष एवं प्राप्त अंक
1	2	3	4	5

9. कार्यानुभव : –

क्रम सं0	कॉलेज/संस्थान का नाम	पदनाम	कब से	कब तक	कुल अवधि
1	2	3	4	5	6

परीक्षा शुल्क –.................................... बैक का नाम ....शाखा ....

घोषणा –

मैं.. पिता .... घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दिये गये सभी तथ्य/जानकारी सत्य एवं सही है, किसी भी स्तर से गलत दस्तावेज/सूचना पाये जाने पर मेरा/मेरी अभ्यर्थिता रदद् करने के लिए अपनर सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रवेश पत्र

आवेदक के लिए

विज्ञापन संख्याः .... पद का नाम :..

अभ्यर्थी का नाम :...

पिता/पति का नाम ....

वर्त्तमान पता : ....

....

मोबाईल संख्या .... ई0मेल...

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर **केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर**

संस्थान के लिए

प्रवेश पत्र

विज्ञापन संख्याः .... पद का नाम :..

अभ्यर्थी का नाम :...

पिता/पति का नाम ....

वर्त्तमान पता : ....

....

मोबाईल संख्या .... ई0मेल...

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर **केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर**